दस रुपये TEN RUPEES
पाँच रुपये FIVE RUPEES

C-883151-2

55 - 70

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्र०क्र० /2004 पुनरीक्षण

1- श्रीमती सियाकुमारी सिंह पत्नी स्व० लाल बिहारी सिंह

2- शिवेन्द्र बहादुर सिंह
3- देवेन्द्र बहादुर सिंह
4- तीर्थेन्द्र बहादुर सिंह
5- मृगेन्द्र बहादुर सिंह
6- कोमल प्रतापसिंह

पुत्रगण स्वर्गीय लाल बिहारी सिंह

7- श्रीमती गीताकुमारी पुत्री स्व० लाल बिहारी सिंह पत्नी राजेन्द्र बहादुर सिंह
निवासीगण ग्राम नंगरगंवा तहसील नागोद जिला सतना (म०प्र०)

8- श्रीमती दुर्गादेवी पुत्री स्व० लाल बिहारी सिंह पत्नी नारेन्द्र बहादुर सिंह निवासी ग्राम उर्दना तहसील नागोद जिला सतना (म०प्र०)

9- श्रीमती निशा सिंह पुत्री स्व० लाल बिहारी सिंह निवासी ग्राम अहिरगांव तहसील अमरपाटन जिला सतना (म०प्र०) ----- आवेदकगण

विरुद्ध

मध्य प्रदेश शासन द्वारा कार्यपालन अधिकारी लक्ष्मणबाग रीवा (म०प्र०) ----- अनावेदक

आयुक्त रीवा संभाग द्वारा प्र०क्र० 288/2003-2004 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30-9-2004 के विरुद्ध पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा-50 म०प्र० भू राजस्व संहिता, 1959.

R. 1422-II/2004
श्री एस.के. वाजपेयी एडवोकेट द्वारा आज दिनांक ... को प्रस्तुत किया गया।
अधीक्षक राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
1 NOV 2004

9-11-2004

1.11.04

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 1422–दो/04 जिला–सतना

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16 – 9 –16	आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस0के0 वाजयपेयी उपस्थित । अनावेदक अभिभाषक श्री एस0के0 श्रीवास्तव उपस्थित। 2/ आवेदकगण के अभिभाषक ने आयुक्त रीवा संभाग के प्र0क्र0 288/2003–04/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30.09.2004 के विरूद्ध निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है । 3/ आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि आवेदकंगण प्रकरण में आवश्यक पक्षकार थे। अतः पुनरावलोकन की अनुमति देने के पूर्व आवेदकों के पूर्वाधिकारी को सुना जाना आवश्यक था । बिना सुनवायी का अवसर दिये अनुमति नहीं दी जा सकती । ऐसी अनुमति तथा उस अनुमति के आधार पर की गई। कार्यवाही एवं आदेश शून्यवत है । कलेक्टर ने पुनरावलोकन की अनुमति देने के आदेश में कहीं उल्लेख नहीं किया कि वे व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 23 नियम 1 द्वारा विहित किस आधार पर पुनरावलोकन की अनुमति दे रहे है । " त्रुटिपूर्ण" कहकर किसी आदेश को पुनरावलोकन करने की अनुमति देना अवैध एवं विचाराधिकार रहित है । आदेश के किस अंश के आधार पर पुनरावलोकन की अनुमति दी जा रही है उसकी	

संक्षिप्त विवेचना तथा पुनरावलोकन के प्रावधान का उल्लेख किये बिना पारित आदेश को स्थिर रखने में आयुक्त ने गंभीर भूल की है । आयुक्त ने उनके समक्ष उठाये गये पुनरीक्षण के आधारों को देखा ही नहीं और न ही बहस में उठाये गये तर्कों की विवेचना की । आधिपत्य के असम्बन्धित बिन्दु पर विवादित आदेश पारित कर दिया । विवादित आदेश विवेकहीन तथा अवैध आदेश है । अतः निगरानी स्वीकार किया जावे।

4/ अनावेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है ।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये । प्रकरण में कार्यपालन अधिकारी, लक्ष्मण बाग संस्थान, रीवा द्वारा मय अभिभाषक आपत्ति प्रस्तुत की गई । प्रस्तुत आपत्ति का अवलोकन किया गया । आवेदकगण एवं आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये विभिन्न दस्तावेजों से स्पष्ट है कि विवादित भूमियों में लक्ष्मण बाग संस्थान का ही मौके पर कब्जा है। आयुक्त रीवा द्वारा जो आदेश पारित किया है वह विधिसंगत है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में आयुक्त रीवा संभाग, रीवा का आदेश दिनांक 30.09.04 विधि अनुकूल होने से स्थिर रखा जाता है तथा आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य